(भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड-3 उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

सं. 10/2017-सेवा कर

नई दिल्ली, दिनांक, 8 मार्च, 2017

सा.का.नि. (अ)- वित्त अधिनियम, 1994 (1994 का 32) की धारा 93 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना लोक हित में आवश्यक है, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II खंड-3, उप-खंड (i) में संख्या सा.का.नि.467(अ), दिनांक 20 जून, 2012 द्वारा प्रकाशित, भारत सरकार वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं.25/2012-सेवाकर, दिनांक 20 जून, 2012 में एतद्द्वारा और आगे निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात:-

उक्त अधिसूचना में, आरंभिक पैराग्राफ की प्रविष्टि 9 में, उपवाक्य (ख) में, उप-उपवाक्य (*iv*) के पश्चात निम्नलिखित परंतुक अंतस्थापित किया जाएगा,अर्थात्:-

''बशर्ते कि इस प्रविष्टि के उपवाक्य (ख) में निहित कोई भी बात विद्यालय पूर्व शिक्षा या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय या समकक्ष स्तर तक की शिक्षा के माध्यम से सेवा प्रदान करने वाली संस्थाओं से भिन्न किसी अन्य प्रकार की संस्था पर लागू नहीं होगी ।''

2. यह अधिसूचना 1 अप्रैल, 2017 से लागू होगी ।

(फा.सं. 334/7/2017-टीआरयू)

(अनुराग सहगल)

अवर सचिव, भारत सरकार

टिप्पण: मूल अधिसूचना सं0 25/2012 सेवा कर, तारीख 20 जून, 2012, सा.का. नि. 467(अ), तारीख 20 जून, 2012, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग ।।, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित हुई थी और उसमें अंतिम संशोधन अधिसूचना सं0 7/2017-सेवाकर, तारीख 2 फरवरी, 2017 सा0का0नि0 100 (अ), तारीख 2 फरवरी, 2017 द्वारा किया गया था ।